

उत्तराखण्ड अभ्युदय

◆ वर्ष -02 ◆ अंक-27

◆ देहरादून - रविवार 03 मई 2026

◆ पृष्ठ : 4

◆ मूल्य: 1/-15

बुजुर्गों को बताया समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी स्थित डॉ सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में

महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान ही किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन समाज और

वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उन्होंने वरिष्ठजनों को समाज की मजबूत जड़ों की संज्ञा देते हुए कहा

सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होने बताया कि विभिन्न योजनाओं जैसे अटल वयोअभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से वरिष्ठजनों के जीवन को सुरक्षित और गरिमामय बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वरिष्ठजनों को प्रतिमाह 1500 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। साथ ही, पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देने का निर्णय उनकी आर्थिक सुरक्षा को और सुदृढ़ कर रहा है।

अटल वयोअभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही, राज्य में पहली बार जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव संसाधन तैयार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क सर्जरी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को अपने भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा उनके गरिमामय जीवन के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।



आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह-2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बुजुर्गों का स्थान अत्यंत

राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को सही दिशा मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार और समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है,

संख्या है और जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का कोई विकल्प नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, रुद्रपुर में एक आधुनिक मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि

एमडीडीए का ऋषिकेश में सख्त एक्शन, अवैध बहुमंजिला निर्माणों पर चला सीलिंग अभियान

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सलान गांव और निर्मल बाग इलाके में किए जा रहे बहुमंजिला अवैध भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल और एसडीएम ऋषिकेश के निर्देशों के बाद टीम मौके पर पहुंची और एक के बाद एक निर्माणों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया।

गया। साथ ही सगुन शर्मा, विजय नायर, अमन नायर, विवेक नायर और अजय

सलान गांव की कार्रवाई सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत और अवर अभियंता सचिन कुमार की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई।

जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत : एमडीडीए का यह अभियान साफ संकेत देता है कि प्राधिकरण अब अवैध निर्माणों के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" नीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मानकों के बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में प्राधिकरण की यह कार्रवाई शहर की व्यवस्थित विकास योजना को लागू करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

अधिकारियों के बयान : एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों के खिलाफ सीलिंग, ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

नायर के निर्माणाधीन भवनों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी निर्माणों में मानचित्र स्वीकृति और निर्माण मानकों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई एमडीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, सुरजीत सिंह, अवर अभियंता मनीष डिमरी, अमित भारद्वाज, प्रवेश नौटियाल और हर्षित मौठानी की मौजूदगी में की गई। किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।



अभियान की शुरुआत सलान गांव भगवंतपुर से हुई, जहां करन गुप्ता द्वारा बिना अनुमति बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने इसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह अवैध है और इस पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके बाद टीम ने निर्मल बाग ब्लॉक-बी लेन नंबर 10 में अभियान चलाया। यहां अजय चौहान, रवि गुप्ता, विजय रावत और प्रवीण रमन समेत कई लोगों द्वारा किए जा रहे निर्माणों को सील किया

अंतरराष्ट्रीय चौंपियनशिप के लिए उत्तराखंड के तीन बॉक्सरों का चयन

देहरादून। अंतरराष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चौंपियनशिप में उत्तराखंड के तीन खिलाड़ी समेत सात सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या के मामले में यह उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा योगदान है। उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव गोपाल सिंह खोलिया ने बताया कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 01 से 14 मई तक प्रतियोगिता होगी। अंडर-17 बालिका वर्ग में पिथौरागढ़ की खुशी चंद्र, 43 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ के ही समीर बोरा और 55 किलो भार वर्ग में नैनीताल के हर्षवर्धन जीना भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। इसके अलावा पूजा यादव बालिका टीम की मुख्य कोच, नितिन देऊवा बालक टीम के कोच के रूप में शामिल होंगे। वहीं सहायक निदेशक खेल संजीव पौरी प्रतियोगिता में भारत की ओर से रेफरी के रूप में चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि दुर्योधन सिंह भी प्रतियोगिता में कोच के रूप में शामिल किए गए हैं। एसोसिएशन ने चौंपियनशिप के लिए चयनित सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या और विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं।

स्मैक के साथ पटेलनगर पुलिस ने दबोचा तस्कर

देहरादून(आरएनएस)। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने 26.80 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार किया है। तस्करों में इस्तेमाल की जा रही एक कार को भी सीज कर दिया गया है। पटेलनगर कोतवाली इंचार्ज विनोद गुसाई ने बताया कि बुधवार देर शाम लाल पुल के पास सहारनपुर रोड पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध कार को चेकिंग के लिए रोका। वाहन की तलाशी ली गई तो चालक के पास से 26.80 ग्राम स्मैक और इसे तौलने के लिए रखा गया एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान पारितोष मनचंदा (35 वर्ष) निवासी बहुगुणा कॉलोनी, अजबपुर खुर्द, थाना नेहरू कॉलोनी के रूप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी से उसे नशा उपलब्ध कराने और खरीदने वालों की जानकारी जुटाई है।

सम्पादकीय

श्रीहेमकुंड साहिब यात्रा 2026

उत्तराखण्डराज्येन सुगमा सुरक्षिताऽपि यात्रा विधीयते।
मानकप्रचालनप्रक्रिया जनहिताय प्रकाशिताऽस्ति।
श्रद्धालवः सावधानाः सन्तु नियमपालनतत्पराः।
एवं कृते यात्रा सर्वेषां सुखदा शुभदा भवेत्।।

अर्थात्

उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने सुगम व सुरक्षित चारधाम यात्रा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। श्रद्धालुओं को विशेष एहतियात बरतने के साथ दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। पवित्र श्रीहेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की शुरुआत 23 मई से हो रही है, जिसके लिए सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता तैयार कर दिया है। यह उत्तराखण्ड में चमोली जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थस्थल है, जहाँ घांघरिया के पास 15,000 फीट की ऊँचाई पर पवित्र सरोवर के साथ पवित्र गुरुद्वारा है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रमुख आधार गोविंदघाट है, जहाँ से लगभग 19-20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। चारधाम यात्रा के साथ साथ श्रीहेमकुंड साहिब की यात्रा, आस्था, प्रकृति और साहस का अद्भुत संगम है, जो हर श्रद्धालु के लिए एक यादगार अनुभव बनती है। हर तरफ शांति एवं सौहार्द का वातावरण होराज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। आध्यात्मिक यात्रा यून ही चलती रहे, जन-मन में सुख शांति बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है।

जय देवभूमि उत्तराखण्ड!! जय भारत!!

डॉ. गार्गी मिश्रा



गलत सूचनाओं पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस अधि सूचना पर रोक लगा दी जिसके तहत पत्र सूचना ब्यूरो के अधीन एक फैक्ट चेकिंग यूनिट (तथ्यों की जांच करने वाली इकाई) की स्थापना की जानी थी। न्यायालय ने कहा कि इस पर तब तक रोक रहेगी जब तक बंबई उच्च न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना देता। इस बीच गूगल और मेटा जैसी डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों चुनाव के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे जांच के लिए नए टूल विकसित करने और तथ्यों की जांच करने वालों (फैक्ट चेकर) को प्रशिक्षण देने के अलावा दोनों अन्य संस्थानों द्वारा संचालित तथ्यों की जांच संबंधी पहलों में भी शामिल होंगी और भारत निर्वाचन आयोग के साथ तालमेल में काम करेंगी। 2019 में सभी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने अपने-अपने स्तर पर गलत सूचनाओं को रोकने का प्रयास किया था और उसके मिलेजुले नतीजे सामने आए थे। 2024 में यह अभियान अधिक तालमेल के साथ चलाया जा रहा है। 40 से अधिक बड़े बहुराष्ट्रीय संस्थानों ने म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस बात पर सहमति जताई कि वे 2024 में वैश्विक स्तर पर मिलकर चुनावों से संबंधित गलत जानकारी का मुकाबला करेंगे। जोखिम बहुत बढ़ गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब राजनेताओं से जुड़ी वास्तविक प्रतीत होने वाली

दृश्य-श्रव्य सामग्री बना सकता है। इन डिजिटल दिग्गजों को विभिन्न समाचार माध्यमों के साथ तालमेल में काम करना होगा ताकि भ्रामक सूचनाओं को रोका जा सके, मतदाताओं से हस्तक्षेप सीमित हो सके और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेटा के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का मालिकाना है जबकि गूगल के पास यूट्यूब और अपना सर्च इंजन है। इससे जुड़ी रणनीतियों में स्वतंत्र फैक्ट चेकर और स्थानीय सामग्री रचनाकारों और प्रकाशकों के साथ जुड़ाव, तथ्यों की जांच, जांच के संसाधन और गलत सूचनाओं को लेकर प्रदान करना शामिल है। इरादा ऐसी सामग्री को वायरल होने से रोकना है। मेटा पहले ही गलत सूचनाओं को हटा देता है। इसमें मतदान को प्रभावित करने वाली तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री शामिल है। उसका दावा है कि उसके पास 15 भारतीय भाषाओं में स्वतंत्र तथ्य जांचने वालों का नेटवर्क है। उसके पास व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जो संदिग्ध जानकारी को रिपोर्ट करने या उनकी पुष्टि करने में मदद करता है। गूगल प्रकाशकों के लिए एक साझा भंडार तैयार करेगा ताकि गलत सूचनाओं से निपटा जा सके। कई भाषाओं और स्वरूपों में, जिनमें वीडियो भी शामिल हैं, फैक्ट चेक को साझा किया जाएगा और गूगल के साझेदारों की मदद से उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों कंपनियों फैक्ट चेकिंग के उन्नत तरीकों को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन करेंगी। इसमें डीप फेक का

पता लगाना और गूगल फ़ैक्ट चेक एक्सप्लोर और मेटा कंटेंट लाइब्रेरी की शुरुआत शामिल है। तथ्यों की जांच करने वाले सामग्री के बारे में कह सकते हैं कि उनसे छेड़छाड़ की गई है। ऐसी सामग्री को छांटकर बाहर कर दिया जाएगा। फेसबुक का दावा है कि वह गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और शटरस्टॉक आदि की एआई की मदद से तैयार सामग्री का पता लगाने के लिए उपाय विकसित कर रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड पर अक्सर इन माध्यमों की सामग्री ही प्रकाशित की जाती है। जरूरत इस बात की भी है कि मेटा पर विज्ञापन देने वाले यह बताएं कि कब वे एआई की मदद से सामग्री तैयार कर रहे हैं। यह सामग्री राजनीतिक या सामाजिक विषयों से जुड़ी हो सकती है। यह उस सामग्री पर रोक लगाता है जिसे फैक्ट चेकर नकारते हैं। वह ऐसे विज्ञापनों को भी रोकता है जो मतदान को हतोत्साहित करते हैं। अगर गलत सूचनाओं के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाना है तो यह आवश्यक होगा कि झूठी सामग्री का तत्काल पता लगाकर उसे हटाया जाए ताकि वह वायरल न हो सके। ऐसे उपकरणों का बिना किसी पूर्वग्रह के इस्तेमाल करना होगा। फैक्ट चेकिंग के उपायों का दुरुपयोग करके किसी खास राजनीतिक हलके की सामग्री को रोक देना भी आसान हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये उपाय तथा ऐसे अन्य उपाय प्रभावी साबित होंगे और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के लागू किया जाएगा।

सूचना का अधिकार : पारदर्शिता की व्यापक पहचान पर ध्यान दें

भारत डोगरा
मई 2005 में जब भारतीय संसद ने सूचना के जन-अधिकार का राष्ट्रीय स्तर का कानून पास किया तो लोकतंत्र को सशक्त करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में इसकी सराहना की गई। कई तरह के उतार-चढ़ाव के बाद अंत में भारत में जो राष्ट्रीय स्तर का कानून पास हुआ वह थोड़ी-बहुत कमियों के बावजूद कुल मिलाकर एक अच्छा और मजबूत कानून माना गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में लोकतंत्र को विश्व स्तर पर बहुत व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। जो देश लोकतांत्रिक नहीं थे उन्होंने भी इसे अपनी कमी के रूप में स्वीकार किया और सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपनाई की चेष्टा की।
पिछले लगभग दो दशकों में कई देशों में तानाशाहियों को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। पर लोकतंत्र की इस ऊपरी प्रगति के बावजूद बढ़ती संख्या में विचारवान लोगों ने महसूस किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भीतर ही भीतर खोखली होती जा रही है। इसे सही अर्थ में लोगों की भलाई और भागेदारी की व्यवस्था बनाने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है। सूचना के जन-अधिकार को भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
पर क्या सूचना के अधिकार का कानून बन जाना ही पर्याप्त है? क्या मात्र इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सरकार और प्रशासन सही मायने में पारदर्शी हैं और वे लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहते?

अमेरिका में बहुत समय से सूचना के अधिकार/स्वतंत्रता का कानून मौजूद है, पर इसके बावजूद सरकार ने अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों के संदर्भ में (विशेष तौर पर इराक पर हमले और तथाकथित आतंकवाद विरोधी युद्ध के संदर्भ में, सैन्य खर्च तेजी से बढ़ाने के संदर्भ में) पारदर्शिता नहीं अपनाई है। सच बात तो यह है कि पूरी विश्व राजनीति को बेहद प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले इराक पर हमले संबंधी निर्णय बहुत थोड़े से सलाहकारों के एक गुट द्वारा लिए गए और आम लोगों को इनके बारे में बड़े योजनाबद्ध ढंग से गुमराह किया गया।
रिचर्ड क्लार्क, जो दस वर्ष तक अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियान के मुखिया रहे हैं, ने अपनी पुस्तक 'अगेंस्ट ऑल इनमीज' में लिखा है : 'मुझे संदेह है कि शायद ही किसी को बुश को यह समझाने का अवसर मिला हो कि इराक पर हमला करने से अमेरिका पहले से कम सुरक्षित हो जाएगा और उग्रवादी इस्लामी आंदोलन की ताकत बढ़ जाएगी।' क्लार्क के अनुसार आतंकवाद पर जॉर्ज बुश की प्रतिक्रिया की खास बात यह थी कि जब उन्हें आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को सबक सिखाना था तो उन्होंने ऐसे देश को नहीं चुना जो अमेरिका विरोधी आतंकवाद पनपा रहा था, अपितु इराक को चुना जो अमेरिका विरोधी आतंकवाद फैलाने में नहीं लगा था। जब इतने शीर्ष पद पर रहा व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से यह लिखता है तो स्पष्ट है कि उसमें कोई गहरा दर्द है।

वैसे अमेरिकी समाज में सूचना की बाढ़ आई हुई है—किसी भी समाचार को निरंतर देने के लिए सैकड़ों प्रसार माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी चैनल आदि मौजूद हैं। बाहरी तौर पर प्रेस की अभिव्यक्ति को गजब की स्वतंत्रता है। इसके बावजूद राष्ट्रपति बुश के दूसरे चुनाव के समय अमेरिकी जनता को एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं थी। विश्व स्तर पर आम तौर पर यह जानकारी पहुंच चुकी थी कि सद्दाम हुसैन सरकार के पास न तो महाविनाशक हथियार थे और न ही उसका अल कायदा से या 9/11 के हमले से कोई संबंध था। पर इतने व्यापक और तथाकथित बेहद 'स्वतंत्र' सूचना तंत्र वाले अमेरिका में अधिकांश मतदाता मानते रहे कि सद्दाम हुसैन की सरकार के पास महाविनाशक हथियार थे और उसका 9/11 के हमले से संबंध था। अमेरिकी नागरिकों की यह गलतफहमी कई सर्वेक्षणों में सामने आई। सवाल वाजिब है कि ऐसा तंत्र, जहां सूचना का अधिकार भी है, सब तरह का सूचनाओं के प्रसार की स्वतंत्रता है, बहुत से माध्यम सक्रिय हैं और अरबों डॉलरों का सूचना उद्योग है, वहां सबसे चर्चित मुद्दे पर सही जानकारी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है? स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार का कानून बनाने के लिए तैयार हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी सरकार का चरित्र मूल रूप से पारदर्शी और ईमानदार हो गया है। हां, इतना जरूर है कि सूचना के अधिकार का उपयोग

सजगता और समझदारी से किया जाए तो इससे सरकार और प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के अवसर अवश्य उपलब्ध होते हैं। हमें कानून की संभावनाओं और सीमाओं, दोनों के प्रति सचेत रहते हुए मात्र कानून बनने से लक्ष्य प्राप्त हुआ नहीं मान लेना चाहिए। इस कानून से जो अवसर प्राप्त हुए हैं, उनका उपयोग करते हुए पारदर्शिता और लोकतंत्र को सशक्त करने के प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए।
यदि नागरिकों ने ऐसी सजगता और सक्रियता नहीं दिखाई तो सरकारें पारदर्शिता का प्रदर्शन अधिक करेंगी पर पारदर्शिता को आत्मसात कम करेंगी। पारदर्शिता केवल किसी सरकार या सरकारी संस्थान के लिए नहीं अपितु सभी सामाजिक संस्थानों-संगठनों और सार्वजनिक जीवन जीने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सब के लिए पारदर्शिता का अर्थ किसी वैधानिक मजबूरी से कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए। पारदर्शिता का अर्थ केवल यह नहीं है कि यदि कानून ने हमें कोई सूचना सार्वजनिक करने के लिए कहा है तो हम ऐसा करेंगे। सही अर्थ में पारदर्शिता कहीं अधिक व्यापक है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई जानकारी किसी बहुत विशेष कारण से गुप्त रखना जरूरी हो जाए, पर सामान्यतः एक पारदर्शी व्यक्ति की सोच यह है कि जब मुझे हर कार्य पूरी ईमानदारी से ही करना है तो फिर उसे कुछ छिपाने की जरूरत ही क्या है। एक

सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो वादे करता हूं उन्हें निभाने का पूरा प्रयास करता हूं, जो कहता हूं वही करता हूं, तो फिर मैं कुछ छिपाने का प्रयास क्यों करूं।
सामान्यतः अपने निर्णय और निर्णय प्रक्रिया के बारे में पूर्ण पारदर्शिता अपनाना किसी भी ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के अपने ही हित में है। यही कारण है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति, चाहे वे सरकारी अधिकारी हो या किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हो या किसी अन्य सार्वजनिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, प्रायः कुछ कार्यभार बढ़ने की संभावना के बावजूद पारदर्शिता लाने वाले कानून या सूचना के अधिकार के कानून का स्वागत ही करते हैं। बेईमान व्यक्ति के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है अतः वह दिल से पारदर्शिता कभी नहीं चाहता। दूसरी ओर, ईमानदार व्यक्ति स्वभाव से ही पारदर्शिता का समर्थन करते हैं। पारदर्शिता में ईमानदारी तो निहित है ही पर उसके अतिरिक्त कुछ और भी है। वह है कथनी और करनी में भेद न होना। जो व्यक्ति पैसे के हिसाब-किताब में पूरी तरह ईमानदार है, हो सकता है उसके लिए भी अन्य संदर्भों में छुपाने के लिए कुछ हो। पर जिस व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, वह पारदर्शिता की कसौटी पर और भी खरा उतरता है। पारदर्शिता को कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं, बेशकीमती जीवन मूल्य के रूप में आत्मसात करना चाहिए।

फिचर्स/विविध

मिरगी से पीड़ित महिलाओं को प्रसव के दौरान मौत का खतरा

मिरगी से पीड़ित महिलाओं को प्रसव के दौरान अधिक समस्या पेश आ सकती है और मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं को मिरगी की बीमारी होती है, उनमें हर 1,00,000 महिलाओं में से 80 को गर्भावस्था और प्रजनन के दौरान मौत का खतरा होता है।


जबकि सामान्य महिलाओं में प्रति 1,00,000 में छह महिलाओं को ही प्रजनन

के दौरान मौत का खतरा होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, किसी विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह जरूर देखा गया है कि मिरगी से पीड़ित महिलाओं को गर्भावस्था और प्रजनन के दौरान ज्यादा देखभाल और सतर्क रहने की जरूरत होती है।

बोस्टन में हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की सारा मैकडोनाल्ड और साथियों ने अध्ययन के लिए 2007-2011 के बीच अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का


अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने कहा कि मिरगी से पीड़ित महिलाओं में प्रसव के दौरान मौत का खतरा ज्यादा होने के साथ उन्हें प्री-एक्लेंपसिया, अपरिपच गर्भ और मृत बच्चे का जन्म जैसे जोखिम ज्यादा होते हैं।

शोधकर्ताओं ने हालांकि यह भी स्वीकार किया कि वह इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि मिरगी से पीड़ित महिलाओं में प्रसव के दौरान मौत का अधिक खतरा होने की वजह क्या है। शोधकर्ताओं ने कहा, मौत का कारण पता



लगाने और उसका तोड़ डूँढ़ने के लिए अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। यह

शोध ऑनलाइन वेबसाइट जामा न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुई है।



विटामिन सी टालता है असमय मृत्यु का जोखिम

विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने से हृदयाघात की आशंका और असमय मौत के जोखिम को कम किया जा सकता है। यह बात एक अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है। इस अध्ययन में शोधार्थियों ने डेनमार्क के एक लाख लोगों के सब्जी और फल खाने के रूझान और उनके डीएनए की जांच की।

डेनमार्क के हर्लेंव एंड जेंटोफ्टे अस्पताल में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विभाग के चिकित्सक कैमिला कोबिलेकी ने कहा, हमने देखा कि फल और सब्जी

का सर्वाधिक सेवन करने वालों में हृदयवाहिनी रोगों का जोखिम 15 फीसदी कम था और समय से पहले मौत का जोखिम 20 फीसदी कम था।

विटामिन सी विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने वाले ऊतकों के निर्माण में मदद करता है।

यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, जो कोशिकाओं और जैव अणुओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, जिसके कारण हृदयवाहिनी रोगों सहित अन्य अनेक प्रकार के रोग होते हैं।

शोध पत्रिका 'अमेरिकन जर्नल ऑफ

क्लिनिकल न्यूट्रिशन' में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक मानव शरीर विटामिन सी बनाने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इसे भोजन के रूप में लिया जाना जरूरी होता है।

कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय के बॉर्ज नोर्डेस्टगार्ड ने कहा, रक्त में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका है अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन।

आप पूरक आहार से भी विटामिन सी ले सकते हैं, लेकिन भोजन के माध्यम से विटामिन सी लेना बेहतर रहता है।

सजना है मुझे सजना के लिए

वैसे तो हर किसी को पता होता है कि शादी से पहले ब्राइडल ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, मगर ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि शादी से पहले कौन-कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कब-कब ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप भी शादी के दिन बेहद खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो इन्हें जरूर आजमाएं।

ब्राइडल ब्यूटी ट्रीटमेंट में फेशियल दो तरह के दिए जाते हैं। ये दोनों फेशियल 20-25 दिन के गैप में दिए जाते हैं। पहली बार जो फेशियल दिया जाता है वो त्वचा के हिसाब से होता है। अगर आपकी त्वचा में नमी की कमी है तो ऑक्सीजन फेशियल, डार्क सर्कल हैं तो डार्क सर्कल ट्रीटमेंट या फिर एक्के की समस्या है तो एंटी-एक्के फेशियल दिया जाता है। शादी से एक दिन पहले इंस्टेंट ग्लो फेशियल जैसे- डायमंड, गोल्ड, सिल्वर आदि फेशियल दुल्हन को दिया जाता है।

बॉडी पॉलिशिंग और दूसरी बार शादी से एक दिन पहले बॉडी पॉलिशिंग करवाना



शी-सॉल्ट से बॉडी पॉलिशिंग दी जाती है और फिर दूध की सहायता से इसे साफ किया जाता है। शादी से एक दिन पहले वाले बॉडी पॉलिशिंग में इंस्टेंट ग्लो के लिए चॉकलेट, गोल्ड, डायमंड की बॉडी पॉलिशिंग करवाने से पूरा शरीर साफ व चमकने लगता है। बॉडी फेशियल हमेशा फेशियल से पहले करवाया जाता है हेयर स्पा करवाने से बालों का रूखापन, बालों का झड़ना, डैंड्रफ आदि की समस्या दूर हो जाती है। हेयर स्पा में ऑयल से हेड मसाज भी दिया जाता है, जिससे कि बालों को नमी मिलती रहें, इसलिए ब्राइड को कम से कम दो बार जरूर हेयर स्पा करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बाल रूखे-बेजान हैं तो मॉइश्चराइजिंग और एंटी फ्रिज शैंपू का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि शादी वाले दिन आपके बाल सुन्दर नजर आएँ। फैशन के इस दौर में बहुत सी ब्राइड्स आई लैसेस एक्सटेंशन करवाना भी पसंद करती हैं। ये एक बार आंखों में फिक्स

चाहिए। पहले वाले बॉडी पॉलिशिंग में डेड-

मनपसंद पनीर का गट्टा

गर्मी के मौसम में घर में ही बनाएं विभिन्न तरह की पनीर का गट्टा ताकि आप अपने परिवार को गर्मी से राहत दिला सकें।

सामग्री-
पनीर 100ग्राम

2 हरी मिर्च, लालमिर्च 1चम्मच
हल्दी 1/4 चम्मच
धनिया पत्ते
दही 150 ग्राम
तेल 3 बडे चम्मच राई



बेसन 200 ग्राम
अदरक 1इंच लहसुन 6 कली
प्याज बारी कटा हुआ

जीरा 1 चुटकी
नमक स्वादानुसार।
बनाने की विधि- सर्वप्रथम बेसन में जीरा, नमक थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर गूथं लें अब 1 इंच थोड़ी पट्टी ले कर उसमें पनीर के लम्बे व पतले टुकड़े रख कर रोल बना लें। बने हुए रोल को पानी में उबाल ले अब प्याज, लहसुन, हरीमिर्च, अदरक डाल कर सभी मसालो का पेस्ट बनाकर कडाही में फ्राई करें। मसाले को फ्राई हो जाने के बाद बेसन-पनीर रोल के 1 इंच लम्बे टुकड़े काटकर कडाई में डाल दे। कुछ देर बाद दही मिलाकर उबाल आने तक रखें। उबाल आने के बाद नीचे उतारे व पनीर कटे हुए टुकड़ो तथा धनिया पत्ते डालकर सर्व करें।

दुल्हन को शादी के 15 दिन पहले एक

महिला आरक्षण पर सरकार नाकाम, केदारनाथ में प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से हो रहा निस्तारण

अल्मोड़ा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विशेष सत्र बुलाकर जनता के धन का दुरुपयोग किया गया। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को महिला आरक्षण कानून 2023 की भावना के अनुरूप उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 और लोकसभा चुनाव 2029 में 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना चाहिए था। भोज ने कहा कि यदि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती, तो केंद्र सरकार को शीघ्र विधेयक लाने का प्रस्ताव भी राज्य विधानसभा से पारित कराया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसकी सरकारें महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति गंभीर

नहीं हैं और विधायी प्रक्रिया में उलझाकर इसे टालने का प्रयास किया जा रहा है।



उनका कहना था कि महिला आरक्षण विधेयक सितंबर 2023 में पारित होने के बावजूद इसकी अधिसूचना अप्रैल 2026

में जारी की गई, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों में वृद्धि तथा परिसीमन की प्रक्रिया से उत्तराखंड की हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों में कमी आने की आशंका है, जिस पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। भोज ने राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि महिलाओं को केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि सुरक्षा भी चाहिए। उन्होंने विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि

विधायकों ने मंत्री के सामने प्रस्ताव फाइकर बैठक का किया बहिष्कार

हरिद्वार। जिला योजना की बैठक शुरू होते ही बुधवार को कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, ममता राकेश, वीरेंद्र जाती, अनुपमा रावत, फुरकान अहमद और बहुजन समाज पार्टी विधायक मो. शहजाद ने विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। इस दौरान मो. शहजाद और फुरकान अहमद ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के



सामने प्रस्तावों की फाइलें फाइकर फेंक दीं, जबकि अन्य विधायकों ने भी कागजात जमीन पर पटक दिए। इसके बाद सभी विधायक सभागार के बाहर धरने पर बैठ गए और बैठक को ठेकेदारों की बैठक बताते

हुए जमकर नारेबाजी की। विधायक रवि बहादुर ने आरोप लगाया कि जिला योजना अधिकारियों और ठेकेदारों पर निर्भर है। विपक्षी विधायकों के प्रस्ताव नहीं लिए जाते हैं जिससे उनके जनहित कार्य नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। पिछले तीन वर्ष से लगातार जिला योजना की बैठक में विपक्ष के विधायकों के प्रस्ताव की अनदेखी हो रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से वार्ता के लिए समय मांगा लेकिन समय नहीं दिया जाता है। बसपा विधायक मो. शहजाद ने कहा कि विधायकों द्वारा जो अति आवश्यक प्रस्ताव होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। ठेकेदारों के प्रस्ताव पारित होते हैं। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि जिला योजना में जो हो रहा है उसे छुपाना चाहते हैं। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। जिला योजना का बंदरबांट किया का रहा है। विधायक ममता राकेश ने कहा कि विधायक भी जनप्रतिनिधि हैं और उनकी ही नहीं सुनी जाती।

चोरी की दो बाइकों के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा जेल

रुड़की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। गंगनहर कोतवाली पुलिस को कलियर के मेहवड़ खुर्द निवासी आशु ने 26 अप्रैल को तहरीर देकर बताया था कि बीटी गंज क्षेत्र से चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली है। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। वहीं, पुलिस ने बाइक चोर की तलाश में मंगलवार की रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को रोक लिया और उससे बाइक के दस्तावेज दिखाने की बात कही।



जवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया

पिथौरागढ़। सीमांत मुख्यालय रानीखेत के चिकित्सा उप महानिरीक्षक डॉ. चंद्रा हयांकी ने एएसबी 55वीं वाहिनी का दो दिवसीय निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ. हयांकी ने वाहिनी चिकित्सालय के वार्ड, ओपीडी, दवा भंडारण, चिकित्सा उपकरणों व स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से संवाद कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति, उपचार की गुणवत्ता तथा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने जवानों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह व हृदयघात जैसी जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों के प्रति सचेत किया। उन्होंने इन बीमारियों

स्रोत सूखा, टैंकर के चक्कर में प्रभावित हुई दिनचर्या

चमोली। बढ़ती गर्मी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। स्रोतों पर पानी कम हो रहा है जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं टैंकरों के आने का कोई निश्चित समय न होने के कारण ग्रामीणों का पूरा दिन पानी की व्यवस्था में बीत रहा है।



के प्रारंभिक लक्षणों में जैसे सिरदर्द, थकान, असामान्य प्यास, सीने में दर्द होने पर चिकित्सक से परामर्श करने

को कहा। बताया अनियमित दिनचर्या, असंतुलित आहार, तनाव व व्यायाम की कमी इन बीमारियों के प्रमुख कारण हैं।

सेमी ग्वाड़ में बुधवार को भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। देवतोली क्षेत्र में पीएमजीएसवाई कार्यालय के पास के कई घरों में पानी नहीं पहुंच पाया। इससे लोगों को पेयजल संकट झेलना पड़ रहा है। जलसंकट से जहां पुरुष समय पर काम पर नहीं जा पा रहे हैं वहीं महिलाओं का घर का काम भी प्रभावित हो रहा है। सेमी ग्वाड़ की अनीता देवी और पवित्रा देवी ने बताया कि एक हफ्ते से पानी नहीं आया है। टैंकर से पानी भरने के बाद ही वे जंगल जा पाती हैं। गर्मी भी तेज हो रही है। विजय कुमार ने कहा कि पानी भरने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ रही है और मवेशियों के लिए भी अधिक पानी चाहिए। जल संस्थान कर्णप्रयाग के सहायक अभियंता दिनेश पुरोहित का कहना है कि लोगों की समस्या को देखते हुए सुबह 8 से 8:30 तक टैंकर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पानी की समस्या दूर करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। उथरालीबगड़ कस्बे में भी संकट: नारायणबगड़। थरालीबगड़ कस्बे में पेयजल व्यवस्था में सुधार न होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नियमित जलापूर्ति न होने से निवासियों को जलस्रोतों का

सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की समस्या से होटल व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। विक्रमसिंह ने बताया कि जलसंस्थान में कर्मचारियों की कमी के कारण पेयजल योजना का रखरखाव नहीं हो पा रहा है। जल संस्थान के अवर अभियंता पंकज कुमार ने कहा कि पेयजल योजना पर लगातार मरम्मत का काम किया जा रहा है। शरारती तत्वों की ओर से पेयजल लाइन को क्षति पहुंचाने से जलापूर्ति बाधित हो रही है।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आर्फसेट प्रिंटर्स 64 नेशविला रोड देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेंट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादक: **गार्गी मिश्रा**
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।